


सं. 21/111/2013-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-11 भवन, जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली, दिनांक: 27 फरवरी, 2014

✓ श्री विमल कुमार खेमानी,  
18 जी, कावेरी रॉयल अपार्टमेंट,  
स्वर्ण जयंती नगर,  
अलीगढ़-202001  
(उत्तर प्रदेश)।



(वादी)

बनाम

(प्रतिवादी)

श्री आशुतोष जैन, निदेशक (सी एस-11),  
गृह मंत्रालय,  
एन डी सी सी-11 भवन, जयसिंह रोड,  
नई दिल्ली।

(के मामले में)

इस मंत्रालय में श्री विमल कुमार खेमानी से उनके दिनांक 03.07.2013 के आर टी आई आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 19 अगस्त, 2013 के पत्र सं. 21/111/2013-एम एंड जी के तहत उनको भेजे गए उत्तर के विरुद्ध दिनांक 07.10.2013 की एक अपील प्राप्त हुई है।

2. जबकि आवेदक ने यह उल्लेख करते हुए कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना मुहैया नहीं करवाई गई है, एक अपील दायर की है।

3. जबकि ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन तथा इस संबंध में दायर अपील का अवलोकन करके, यह पाया गया है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध, पैरा-वार उत्तर तथा अनुलग्नक समुचित रूप से भेजा गया है। आवेदक द्वारा यथा वांछित, कोई भी रिकॉर्ड, इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनज़र, अपील का निपटान किया जाता है।

एस.सुरेश कुमार

(एस.सुरेश कुमार)

संयुक्त सचिव (सी एस)/एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

दूरभाष: 23438100

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित:-


श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 09.12.2013 के का.जा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संबंध में।

7/2013  
4/3/14

# अपील धारा १९ सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत

34

समक्ष केन्द्रिय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली

|                             |  |  |                                |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
| १.                          | अपीलकर्ता का नाम<br>एवम पूरा पता   | बिमल कुमार खेमानी<br>१८ जी कावेरी रायल एपार्टमेन्ट<br>स्वर्ण जयंती नगर, अलीगढ़-२०२००१<br>Tele: 0571-2742625 e-mail : rtitrap@gmail.com   |                                |
| २                           | जन सूचना अधिकारी का नाम एवम पूरा पता   | जन सूचना अधिकारी, The Prime Minister's Office,<br>South Block, Raisina Hill, New Delhi.-110011.  |                                |
| ३                           | आवेदन करने की तारीख  | ट्रेप / ६३७ दिनांक ०३ जुलाई २०१३ जिसे श्री सैयद इकराम रिजवी, उप-सचिव ने दिनांक ०९-०७-१३ को आपके यहाँ अंतरित किया   | संलग्नक - क एवम<br>संलग्नक - ख |
| ४                           | जन सूचना अधिकारी का जबाब   | २१/११/२०१३ दिनांक १९-०८-२०१३   | संलग्नक - ग                    |
| ५.                          | प्रथम अपील अधिकारी का नाम  | प्रथम अपीलीय अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार,<br>नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  |                                |
| ६                           | अपील की तारीख  | १३ अगस्त २०१३  | संलग्नक - घ                    |
| ७                           | अपील के निर्णय की तारीख  | प्राप्त नहीं   | संलग्नक -                      |
| ८                           | अपील हेतु कारण ज.सु.अ. का आदेश या अन्य   | २१/११/२०१३ दिनांक १९-०८-२०१३   | संलग्नक - ग                    |
| ९                           | अपील हेतु तथ्य   | अपीलकर्ता ने मंत्रियों के लिए आचार संहिता के सम्बन्ध में २ बिन्दुओं पर सूचना मांगी, जिसपर श्री आशुतोष जैन, निदेशक (सी.एस.॥) द्वारा दिया गया जबाब किसी भी तरह एक मजाक से कम नहीं लगता, उनके द्वारा कथन की इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है एवम किसी वेतन भोगी के लिए केन्द्रीय सरकार में किसी तरह की सेवा शर्तें नहीं होना समझ से परे है   |                                |
| १०                          | अपील ज.सु.अ. द्वारा सूचना नहीं दिए जाने या मना करने के बारे में है तो सम्बंधित ज.सु. अ.का नाम तथा आवेदन संख्या तारीख |  |                                |
| ११                          | प्रार्थना या सहायता जो चाहिए   | मांगी गई सूचना   |                                |
| १२                          | प्रार्थना या सहायता का कारण  | पारदर्शिता एवम व्यवस्था में सुधार  |                                |
| १३                          | अपीलकर्ता का प्रमाणीकरण  | मैं एतद द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ की ऊपर दिए गये सभी तथ्य मेरी जानकारी अनुसार सही है एवं न्यायहित में कुछ भी नहीं छिपाया गया है  |                                |
| १४                          | अन्य कोई सूचना जो अपील हेतु आवश्यक है  |  <p>• अपीलकर्ता धारा २०(१) एवं २०(२) के अंतर्गत अर्थ दंड एवं हर्जाने की मांग करता है ••• धारा ८(जे) के अंतर्गत जो भी सूचना भारतीय संसद या राज्यों की विधान सभाओं को मना नहीं की जा सकती आवेदन कर्ता को भी मना नहीं की जायेगी, अतः अगर जनसूचना अधिकारी किसी भी कारणवश सूचना न देना चाहे तो वह एक शपथ पत्र द्वारा घोषणा करे की मांगी गई सूचना वह संसद/विधान सभा को भी नहीं देगा</p> |                                |
| २ सेट अपील सभी संलग्नो सहित |  |  |                                |

सदर्भ संख्या : ट्रेप / ६३७

दिनांक : ०७ अक्टूबर २०१३

प्रतिलिपि :

१. जन सूचना अधिकारी २. प्रथम अपीलीय अधिकारी

अपीलकर्ता

बिमल कुमार खेमानी